माननीय न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल सी जे और अजय तिवारी के समक्ष

कमांडेंट आरटीपीएस तुलसी (सेवानिवृत्त)- याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य -प्रतिवादी

1996 की सी डब्ल्यू पी संख्या 7126

21 सितंबर, 2010

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 - एस 15 - जनहित याचिकाएं - सशस्त्र बलों के सदस्यों के मामलों के निपटान में विलंब - 2007 अधिनियम के उपबंध उपबंध करते हैं कि अधिकरण कोर्ट मार्शल द्वारा पारित किसी आदेश, निर्णय, निष्कर्ष या सजा या उससे संबंधित किसी मामले या उससे संबंधित किसी मामले के विरुद्ध अपील के संबंध में मामलों पर विचार करेंगे- उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों पर विचार करने की कोई अधिकारिता नहीं है - तथापि, कोर्ट मार्शल अथवा इसके समकक्ष अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के अनुसरण में पारित दंड के आदेशों पर ऐसी कार्यवाहियों को आपराधिक याचिकाओं के रूप में मानते हुए उच्च न्यायालय में विचार किया जाता है।

यह अभिनिर्णित किया गया है *कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 15 के प्रावधानों के मद्देनजर इस न्यायालय के पास सशस्त्र बलों के सदस्यों के संबंध में उन मामलों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिनकी सुनवाई न्यायाधिकरणों द्वारा की जाती है। जहां तक कोर्ट मार्शल अथवा इसके समकक्ष अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के अनुसरण में पारित दंड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका से संबंधित मामलों का संबंध है, उन्हें पहले से ही दांडिक रिट याचिका के रूप में माना जा रहा है।*

(पैरा 3 और 4)

विनीत सोनी, आरटीपीएस तुलसी के वकील , व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ता-याचिकाकर्ता।

रिटा कोहली, एडवोकेट, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

माननीय मुकुल मुद्गल, सी. जे -

1. इस रिट याचिका को याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका के रूप में दायर किया गया है जो नौसेना से कमांडेंट के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। यह याचिका काफी हद तक सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ-साथ बीए स एफ आदि के मामलों के निपटान में देरी पर आधारित है, क्योंकि व्यक्ति को गलत तरीके से सिविल रिट याचिकाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कोर्ट मार्शल से संबंधित मामलों में भी निर्णय के लिए वर्षों लग जाते हैं। रिट याचिका में की गई प्रार्थना इस प्रकार है: -

"ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, यह सबसे सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय कृपापूर्वक प्रसन्न हो:

(a) एक उपयुक्त रिट, निर्देश का आदेश पारित करें कि संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य एक विशिष्ट वर्ग हैं और रिट नियमों के नियम 34 के तहत मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है:

(b) कोर्ट मार्शल या उसके समकक्ष ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को चुनौती देने वाले सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा दायर रिटों को रिट नियमों के तहत "आपराधिक रिट याचिका" के रूप में स्टाइल किया जाए और उस आदेश के बावजूद सुना जाए जिसमें वे रजिस्टर पर खड़े हैं:

(c) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश पारित करें कि रिट नियमों के नियम 3 और 4 सेना अधिनियम, 1950 की धारा 108, 125, 126 आदि के अधिकारातीत दोष हैं; बीएसआई अधिनियम, 1968 की धारा 64, 80, 81 आदि और सशस्त्र बलों से संबंधित कानून के अन्य संबंधित प्रावधानों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 और 226: और

(d) एक उपयुक्त, रिट, आदेश या एक निर्देश पारित करें कि सशस्त्र बलों से संबंधित कानून के तहत कार्रवाई को चुनौती देने वाले सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा दायर अन्य सभी रिटों को एक विशेष श्रेणी के रूप में माना जा सकता है और उस क्रम के बावजूद सुना जा सकता है जिसमें वे रिट नियमों के तहत रजिस्टर पर खड़े हैं; और

(e) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश पारित करें जो मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जा सकता है। "

2. इस सिविल रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 लागू हुआ। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2001 की धारा 15 कोर्ट मार्शल के खिलाफ अपील के मामलों में अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकार से संबंधित है जो निम्नानुसार है: -

"धारा 15. कोर्ट मार्शल के विरुद्ध अपील के मामलों में क्षेत्राधिकार, शक्तियां और प्राधिकार -

1. इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, अधिकरण नियत दिन पर और उससे कोर्ट मार्शल द्वारा पारित किसी आदेश, निर्णय, निष्कर्ष या दंडादेश या उससे संबंधित किसी मामले या उसके आनुषंगिक मामले के विरुद्ध अपील करने के संबंध में इस अधिनियम के अधीन प्रयोग करने योग्य सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकारों का प्रयोग करेगा।
2. कोर्ट मार्शल द्वारा पारित आदेश, निर्णय, निष्कर्ष या सजा से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे रूप, तरीके से और ऐसे समय के भीतर अपील कर सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
3. ट्रिब्यूनल के पास किसी अपराध के आरोपी और सैन्य हिरासत में किसी भी व्यक्ति को जमानत देने की शक्ति होगी, बिना किसी शर्त के या बिना किसी शर्त के जो वह आवश्यक समझता है: -

बशर्ते कि कोई भी आरोपी व्यक्ति इसलिए रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार दिखाई देता है कि वह मृत्यु या आजीवन कारावास के साथ दंडनीय अपराध का दोषी है।

4. ट्रिब्यूनल कोर्ट-मार्शल द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की अनुमति देगा जहां-

(a) कोर्ट मार्शल की खोज कानूनी रूप से किसी भी कारण से टिकाऊ नहीं है; नहीं तो

(b) निष्कर्ष में विधि के प्रश्न पर गलत निर्णय अंतर्वलित है : या

(c) मुकदमे के दौरान एक भौतिक अनियमितता थी जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हत्या हुई,

लेकिन, किसी अन्य मामले में, अपील को खारिज कर सकता है जहां ट्रिब्यूनल मानता है कि न्याय की कोई हत्या होने की संभावना नहीं है या वास्तव में अपीलकर्ता के परिणामस्वरूप हुई है।

परन्तु अधिकरण द्वारा अपील को खारिज करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा आदेश लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् नहीं किया जाता है।

5. ट्रिब्यूनल दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की अनुमति दे सकता है, और उस पर उचित आदेश पारित कर सकता है।
6. इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में निहित किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण के पास निम्नलिखित की शक्ति होगी-

(a) कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष के लिए स्थानापन्न, किसी अन्य अपराध के लिए दोषी पाया जाना जिसके लिए अपराधी को कोर्ट मार्शल द्वारा विधिपूर्वक दोषी पाया जा सकता था और सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट या ऐसे निष्कर्षों में शामिल होने के लिए नए सिरे से सजा पारित कर सकता था, 1957 या वायु सेना अधिनियम, 1950, जैसा भी मामला हो, या

(b) यदि अत्यधिक, अवैध या अन्यायपूर्ण पाया जाता है, तो ट्रिब्यूनल -

(i) शर्तों के साथ या बिना शर्तों के पूरे या वाक्य के किसी भी हिस्से को प्रेषित करना;

(ii) दी गई सजा को कम करना;

(iii) सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 या वायु सेना अधिनियम, 1950, जैसा भी मामला हो, में उल्लिखित किसी भी कम सजा या दंड के लिए ऐसी सजा को बदल सकता है;

(c) ....

(d) ....

(e) ....

(f) ....

(7) ....

7. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के पूर्वोक्त प्रावधानों के मद्देनजर इस न्यायालय के पास सशस्त्र बलों के सदस्यों के संबंध में मामलों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिनकी सुनवाई न्यायाधिकरणों द्वारा की जाती है।

8. जहां तक कोर्ट मार्शल अथवा इसके समकक्ष अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के अनुसरण में पारित दंड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका से संबंधित मामलों का संबंध है, उन्हें पहले से ही आपराधिक रिट याचिकाओं के रूप में माना जा रहा है। अध्याय 4 भाग च का नियम 3, उच्च न्यायालय के नियम और आदेश खंड V इस तरह की याचिका से निपटने के लिए निम्नानुसार है: -

"नियम 3. **आपराधिक रिट याचिकाएं** - बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए एक याचिका या अदालत वैवाहिक या उसके समकक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही के अनुसरण में पारित सजा के आदेश को चुनौती देने वाली किसी याचिका को "आपराधिक रिट याचिका" के रूप में स्टाइल किया जाएगा।

5. ऊपर बताई गई स्थिति को देखते हुए, यह रिट याचिका जीवित नहीं है और इसका निपटारा किया जाता है।

याचिका का निस्तारण कर दिया गया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनमोल कक्कड़

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा